

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर छ0ग0

क्र/1007 /समग्र शिक्षा/संगीत प्रशि./2025-26

बिलासपुर, दिनांक 09/09/2025

//विज्ञापन//

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0, रायपुर के पत्र क्र0/3018/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 08/08/2025 के निर्देशानुसार जिले में संचालित 13 पीएमश्री विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए अंशकालिक संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिया जाना है, सेवाएं अधिकतम 31 मार्च 2026 तक के लिए होंगी, इस हेतु योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र दिनांक 16/09/2025 तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, द्वितीय तल जिला पंचायत भवन, नेहरु चौक, बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक आवेदक एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक विद्यालय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम प्राप्त आवेदन पर समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालय जिनमें संगीत प्रशिक्षकों की स्वीकृत पदों की जानकारी :-

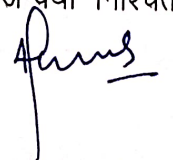
क्र.	विकासखण्ड	शाला का नाम	स्वीकृत पद
1	बिल्हा	पी0एम0श्री0शा0प्रा0शाला रामपुर	1
2	बिल्हा	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला खमतराई	1
3	बिल्हा	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला केशला	1
4	बिल्हा	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला अचानकपुर	1
5	कोटा	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला पोडी	1
6	मस्तूरी	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला केंवटपारा मल्हार	1
7	मस्तूरी	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला कुकुर्दीकला	1
8	तखतपुर	पी0एम0श्री0 शा0प्रा0शाला सम्लबपुरी	1
9	कोटा	पीएमश्री सेजस शा0उ0मा0वि0डी0के0पी0कोटा	1
10	तखतपुर	पीएमश्री सेजस शा0उ0मा0वि0तखतपुर	1
11	बिल्हा	पीएमश्री सेजेस शा0क0उ0मा0वि0 सरकण्डा बिलासपुर	1
12	बिल्हा	पीएमश्री सेजेस शा0उ0मा0वि0 चकरभाठा	1
13	मस्तूरी	पीएमश्री सेजेस शा0उ0मा0वि0 मस्तूरी	1

संगीत प्रशिक्षकों हेतु दिशा निर्देश -

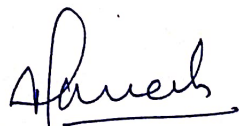
01 अंशकालिक प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता संगीत शिक्षा में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अनिवार्य है।

02 कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार सेवा प्रदत्त संगीत प्रशिक्षक को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार मात्र) देय होगा।

03 कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा निश्चित अवधि की समाप्ति पर सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।



- 04 कार्य पर रखा जाना पूर्णतः अस्थायी होगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर चयनित व्यक्ति को बिना कारण बताये कभी भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
- 05 आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।
- 06 अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से रखे गये उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
- 07 रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
- 08 चयन अंशकालीक संगीत प्रशिक्षक का चयन में कक्षा 10वीं एवं 12 वीं के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 25-25 प्रतिशत वेटेज एवं संगीत शिक्षा में स्नातक डिग्री प्राप्तांकों के प्रतिशत का 50% वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।
- 09 चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र, प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- 10 टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्तों की पात्रता नहीं होगी।
- 11 एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
- 12 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
- 13 आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
- 14 कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित/कार्यरत्न व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक् करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- 15 अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
- 16 आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पीएमश्री शाला का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
- 17 आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से ही स्वीकार होगी।
- 18 आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
- 19 आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 16/09/2025 को शाम 05:30 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल, जिला पंचायत भवन, नेहरु चौक बिलासपुर, पिन 495001 छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।


जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.)